# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

**पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०**
**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 190/2021**
**GCMS NO. : 2021/352**

**–:: प्रार्थीगण ::–**

1. प्रकाशचन्द पुत्र मोतीलाल
2. किरण पुत्र मोतीलाल जाति–जैन, निवासी– बलुन्दा तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0।

**बनाम**

**–:: अप्रार्थीगण ::–**

1. पन्नालाल पुत्र मोतीलाल
2. गणपत पुत्र मोतीलाल जाति–जैन, निवासी–बलुन्दा, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0।
3. तहसीलदार,(उपपंजीयन अधिकारी) जैतारण, तहसील– जैतरण

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू: 21/11/2021**

**उपस्थितः–**

1. श्री करनीदान चारण, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री राजूनाथ चौलावत, श्री राजीव लोचन, अधिवक्तागण, अप्रार्थीगण।

## –:: निर्णय ::–

**दिनॉकः 24/10/2024**

वकील मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलून्दा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2270 (बाईस सौ सीतर) रकबा 1.7806 (11) ग्यारह बीघा एंव खसरा नम्बर 1763/4 रकबा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा आया हुआ है नकल. जमाबंदी एंव नक्शा संवत 2077 से 2080 की साथ पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे । गैरसायल पन्नालाल ने एक वाद सख्या 191/2014 का पन्नालाल बनाम प्रकाश वगैरा का दिनांक 02/09/2014 को बन्टवाडा घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जो दिनांक 20/05/2016 को खारिज किया गया प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय एंव डिकी पर्चा साथ पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे । वाद सख्या 191/2014 में गैरसायल सख्या 1 पन्नालाल ने अपना 1/8 वा हिस्सा होना बताया तथा वह अपने कथन से पाबन्ध है निर्णय दिनांक 20/5/2016 की कोई अपील गैरसायल सख्या 1 द्वारा नही की गई है तथा राजस्व वाद सख्या 191/14 मे पारित निर्णय अन्तिम रहा । गैरसायल संख्या 1 ने दिनांक 10/10/2021 को खसरा नम्बर 2270 की भूमि 11 बीघा में बिना सायलान की ईजाजत के कुछ भाग मे तारबंदी कर दी जबकि गैरसायल सख्या 1 को बिना बन्टवाडा के तारबंदी करने का कोई हक व अधिकार नही है दिनांक 10/10/2021 को सायलान द्वारा गांव बलून्दा मे यह कहा गया कि बन्टवाडा करके खेत का नाप कर फिर अपने अपने हिस्से पर नाप करवा कर तारबंदी खाई खन्दक आदि लगवाए तो नाराज हो गया तथा बन्टवाडा करने से एंव तारबंदी हटाने से इन्कार हो गया जबकि बन्टवाडा वाद में वर्णित बाडा एंव कृषि भूमि का करवाया जाना आवश्यक है गैरसायल सख्या 1 ने तो ऐलानिया धमकी देकर कहा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का वैधान करेगा इस प्रकार गैरसायल सख्या एक बिना बन्टवाडा के भूमि

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

का हस्तातंरण करने पर आमादा है तथा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण तारबंदी लगाकर कर दिया है जो गलत है तथा खेती करने पर आमादा है जिसे रोका जाना जरूरी है। जिससे कि सायलान अपने हिस्से की भूमि पर अच्छी तरह से काश्तकार सके तथा उन्नत तरीके से खेती कर सके तथा सायलान के अपने हिससे पर खाई खन्दक लगाकर व्यवस्थित कर सके सायलान वादग्रस्त भूमि पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है इस प्रकार यह वाद बन्टवाडा एंव अस्थाई निषेधाज्ञा का सायलान की और से पेश है। सायलान का प्रथम दृष्टीया मजबुत मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन व बेलेन्स अ०फ कन्वीनियन्स भी सायलान के पक्ष मे है तथा गैरसायलान सख्या 1 बिना सायलान की ईजाजत के कुछ भाग मे तारबंदी कर दी जबकि गैरसायल सख्या एक को बिना बन्टवाडा के तारबंदी करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बन्टवाडा करवाया जाकर नेकम बंदी की जावे खाता अलग किया जाकर लगान का बन्टवाडा करवाया जावे तथा गैरसायल का 1/8 वा हिस्सा का खाता अलग कर दिया जावे बन्टवाडा की डिकी पारित की जावे। गैरसायल सख्या 1 वादग्रस्त भूमि का हस्तातरण बैचान वसीयत आदि नही करे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा हमेशा के वास्ते रोके जावे व अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित करावे। बैचान हस्तातरण का कोई दस्तावेज वादग्रस्त भूमि बाबत गैरसायल सख्या 3 के पास पेश करे तो उसे पंजियन नही करे अस्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के वास्ते रोके जावे। सायलान अपने हिस्से की भूमि मे काश्त करे उसमे गैरसायलान सख्या 1 व 2 व उनके हाली चाकर नौकर एजेन्ट आदि कोई रोक टोक बाधा अडचन नही करे । अन्यअनुतोष जो सायलान के पक्ष मे हो दिलाया जावे व खर्चा कुल मुकदमा हाजा का सायलान को गैरसायल से दिलाया जावे । इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो सामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये गये के बावजूद जवाब प्रार्थना पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई।

बहस प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः-

**1. प्रथम दृष्ट्या मामला** :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में बन्टवाड़ा बाबत् न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है। चुंकि अपने हक हिस्से तक प्रत्येक सहखातेदार को सहखातेदारी भूमि की कानूनन बंटवाडे का अधिकार होता है, साथ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसका बन्टवाड़ा करवाये बिना अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में तारबंदी की जा रही है। जिससे सहखातेदारान् के मध्य मौके की स्थिति को लेकर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (व्यावर)

विवाद उत्पन्न होनें के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

**2. सुविधा का सतुंलन :-** चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रत्येक सहखातेदारी अपने हक हिस्से तक ऐसी सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जा माना जाता हैं। लिहाजा यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

**3. अपूर्णनीय क्षति :-** चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू-अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा बिना कानूनन बंटवाड़ा करवाये अविभाजित भूमि में तारबंदी की जा रही है तथा यह भी सम्भावना रहती है कि ऐसा आगे भी किया जा सकता है तथा यदि ऐसा होता है तो वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति तथा प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन् में जटिलता एवं विलम्ब होना स्वाभाविक है। जिसकी अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को ही होना स्वाभाविक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसमें सहखातेदारान् के मध्य मौके की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होनें के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू उभयपक्षकारान् के पक्ष में साबित होता है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान् को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण एवं एक-दूसरे के कब्जे-काश्त में दखलदांजी न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

## -: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- बलून्दा, पटवार हल्का- बलून्दा, तहसील जैतारण के खसरा नंबर 2270 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1763/4 रकबा 05 बिस्वा का बैचान, हस्तान्तरण एवं एक-दूसरे के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 24/10/2024 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)